इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष ४०/रुपये
(आईएसओ ९००१ : २००८ प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : ८ अंक सं. : ३ अक्तूबर, २०१५ पृष्ठों की सं १६

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

मौद्रिक नीति ---------- २
मुख्य घटनाएं ---------- २
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां----------३
बैंकिंग जगत की घटनाएं---------- ३
विनियामकों के कथन ---------- -६
बीमा ----------८
नयी नियुक्तिया ---------- ९
विदेशी मुद्रा ----------९
उत्पाद एवं गठजोड ---------- १०
शब्दावली / वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ---------- ---- ११
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां----------१२
संस्थान समाचार----------१२
बाज़ार की खबरें----------१५

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

६ठा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य : २९ सितम्बर, २०१५

- चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत नीतिगत पुनर्खरीद (repo) दर तत्काल प्रभाव से ५० आधार अंक घटाकर ७.५% से ६.७५% कर दी गई।

- अनुसूचित बैंकों का आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) निवल मांग एवं सावधि देयताओं (NDTL) के ४.०% पर अपरिवर्तित रखा गया।

- बैंक-वार निवल मांग एवं सावधि देयताओं के ०.२५ प्रतिशत पर एक-दिवसीय पुनर्खरीद के तहत चलनिधि समायोजन सुविधा की पुनर्खरीद दर पर तथा १४ दिवसीय मीयादी पुनर्खरीद दर और उसके साथ ही बैंकिंग प्रणाली की निवल मांग एवं सावधि देयताओं के ०.७५ प्रतिशत तक की अपेक्षाकृत लम्बी अवधियों के लिए नीलामियों के माध्यम से चलनिधि प्रदान करने का क्रम जारी रखने का निर्णय लिया गया।

- चलनिधि को सहज बनाने हेतु दैनिक रूप से परिवर्ती दर वाली पुनर्खरीदों और प्रति-पुन र्खरीदों को जारी रखने का निर्णय लिया गया।

फलत: चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत प्रति-पुनर्खरीद दर ७.७५ प्रतिशत पर और सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर तथा बैंक दर ७.७५ प्रतिशत पर समायोजित रही।

मुख्य घटनाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने लघु वित्त बैंकों के लिए १० आवेदकों को सिद्धांतत: अनुमोदन प्रदान किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने **लघु वित्त बैंक** गठित करने हेतु १० आवेदकों को "सिद्धांतत:" अनुमोदन प्रदान कर दिया है। प्रदान किया गया सिद्धांतत: अनुमोदन आवेदकों को निर्धारित दिशानिर्देशों के तहत अपेक्षाओं का पालन करने तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाने वाली अन्य शर्तों को पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए १८ माह तक वैध होगा। इस बात के प्रति संतुष्ट हो जाने पर कि आवेदकों ने उसके द्वारा सिद्धांतत: अनुमोदन के एक अंग के रूप में निर्धारित शर्तों का पालन

कर लिया है, भारतीय रिज़र्व बैंक उन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, १९४९ की धारा २२ (i) के तहत बैंकिंग व्यवसाय

प्रारंभ करने का लाइसेंस मंजूर करने पर विचार करेगा। जब तक एक नियमित लाइसेंस नहीं जारी कर दिया जाता, आवेदक किसी प्रकार का बैंकिंग व्यवसाय आरंभ नहीं कर सकते।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को इक्विटी निवेश पर लचीलापन प्रदान किया

अधिक परिचालनगत स्वतंत्रता और निर्णयन में लचीलापन प्रदान करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह सलाह दी है कि जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में १० प्रतिशत या उससे अधिक का पूंजी अनुपात रखने वाले तथा पिछले वर्ष में निवल लाभ अर्जित करने वाले बैंकों को ऐसे मामलों में इक्विटी निवेश करने हेतु पूर्वानुमोदन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है, जिनमें इस प्रकार के निवेश के बाद बैंक की धारिता निवेशी कम्पनी की चुकता पूंजी से १० प्रतिशत से कम रह जाए और बैंक की सहायक कम्पनियों अथवा संयुक्त उद्यमों या कम्पनियों के साथ उसकी धारिता निवेशी कम्पनी की चुकता पूंजी के २० प्रतिशत से कम रह जाए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आयातकों को रुपये में व्यापार ऋण जुटाने की अनुमति दी

भारतीय रिज़र्व बैंक निवासी आयातकों को विदेशी ऋणदाताओं के साथ ऋण करार करने के बाद निर्धारित ढांचे के भीतर रुपयों में व्यापार ऋण जुटाने की अनुमति देगा। यह व्यापार ऋण वर्तमान विदेश व्यापार नीति के तहत अनुमेय सभी मदों (सोने को छोड़कर) के लिए लिया जा सकता है। गैर-पूंजीगत माल के आयात हेतु व्यापार ऋण की अवधि पोतलदान की तिथि से एक वर्ष या पि रचालन चक्र तक, इनमें से जो भी कम हो, तक हो सकती है; जबकि पूंजीगत माल के आयात हेतु यह पोतलदान की तिथि से पांच वर्ष तक हो सकती है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I द्वारा अनुमेय अव धि के आगे किसी प्रकार के पुनर्निर्धारण / विस्तार की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्राधिकृत श्रेणी -I बैंक प्रति आयात लेनदेन २० मिलियन अमरीकी डालर की समतुल्य रकम के व्यापार ऋण की अनुमति दे सकते हैं। वे व्यापार ऋण के सम्बन्ध में पोतलदान की तिथि से तीन वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए गारंटी, वचनपत्र अथवा चुकौती आश्वासन पत्र (letter of comfort) दे सकते हैं।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के प्रतिकर के सम्बन्ध में नये दिशानिर्देश - निदेशकों को ऋणों पर प्रतिबंध

वाणिजयिक बैंक मुख्य कार्यपालक अधिकारी / पूर्णकालिक निदेशकों को कुछेक शर्तों के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन प्राप्त किए बिना ऋण एवं अग्रिम मंजूर कर सकते हैं। इस प्रकार के

ऋणों पर प्रभारित किए जाने वाले ब्याज पर आधार दर से सम्बन्धित दिशानिर्देश नहीं लागू होंगे। हालांकि, इस प्रकार के ऋणों पर प्रभारित ब्याज की दर स्वयं बैंक के अपने कर्मचारियों से प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर से कम नहीं नहीं हो सकती। मुख्य कार्यपालक अधिकारी और निदेशकों द्वारा लिये जाने वाले ऋण एवं अग्रिम निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित प्रतिकर (मुआवजा) नीति के अंग होने चाहिए।

बैंकों ने प्रधान मंत्री जन-धन योजना के लिए लगभग १,२०,००० कारबार संपर्की एजेन्ट अभि नियोजित किए

बैंकों ने प्रधान मंत्री जन-धन योजना (PMJDY) के तहत देश के बैंकिंग सुविधा-रहित परिवारों को बैं किंग सेवाएं प्रदान करने हेतु लगभग १,२०,००० कारबार संपर्की एजेन्टों / बैंक मित्रों को अभि नियोजित किया है। बैंकों द्वारा जहां ईंट और गारे वाली शाखा खोलना या एटीएम लगाना व्यवहार्य नहीं है ऐसे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में १,२३,२०८ कारबार संपर्की एजेन्टों / बैंक मित्रों को अभि नियोजित किया गया है। वे विविध प्रकार की दूरसंचार संयोजकता का उपयोग करते हुए ऑनलाइन यथार्थ समय मोड में कार्य करते हैं। ९ सितम्बर, २०१५ को समाप्त सप्ताह के दौरान कुल मिला कर ७९,३०५ कारबार संपर्की एजेन्टों / बैंक मित्रों ने ३६,२०५ नकदी लेनदेन (जमा एवं भुगतान दोनों) और विप्रेषणों का कार्य किया । इस प्रकार उन्होंने कुल १२ मिलियन लेनदेनों का संचालन किया।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ५०० रुपये और १,००० रुपये के नोटों में नयी विशेषताएं लागू कीं

भारतीय रिज़र्व बैंक शीघ्र ही तीन नयी / संशोधित विशेषताओ, यथा- नम्बर पैनल में अंकों का आरोही आकार, ब्लीड लाइनों तथा अभिवर्धित पहचान चिन्ह -को शामिल करते हुए ५०० रुपये और १,००० रुपये के मूल्यवर्गों में बैंकनोटों को संचलन में लाएगा। वर्तमान बैंकनोट नम्बर पैनलों में संनिविष्ट अक्षर के बिना होंगे। इन नोटों पर डॉ. रघुराम जी. राजन, गवर्नर, भारतीय रि ज़र्व बैंक के हस्ताक्षर होंगे। मुद्रण का वर्ष (२०१५) पृष्ठभाग पर होता है। इन विशेषताओं को छोड़कर ५०० रुपये और १,००० रुपये के बैंकनोटों की समग्र डिज़ाइन पहले जैसी ही रखी गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो बैंकों को सर्वांगी महत्वपूर्ण घोषित किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड को घरेलू सर्वांगी महत्वपूर्ण (DSIBs) के रूप में पदनामित घोषित किया है। रिज़र्व बैंक ने घरेलू सर्वांगी महत्वपूर्ण बैंकों का दर्जा देने के बारे में २२ जुलाई, २०१४ को रूपरेखा जारी की थी। घरेलू सर्वांगी

महत्वपूर्ण बैंक की रूपरेखा में रिज़र्व बैंक से यह अपेक्षित है कि वह अगस्त ٢٠١٥ से आरंभ कर के प्रतिवर्ष घरेलू सर्वांगी महत्वपूर्ण बैंकों के रूप में पदनामित बैंकों के नाम घोषित करे। उक्त रूपरेखा में यह भी अपेक्षित है कि घरेलू सर्वांगी महत्वपूर्ण बैंकों को उनके सर्वांगी महत्वपूर्ण अंकों (SISs) के आधार पर चार समूहों में रखा जाए। घरेलू सर्वांगी महत्वपूर्ण बैंक जिस समूह में रखा गया है उसके आधार पर उसके बारे में

घरेलू सर्वांगी महत्वपूर्ण बैंक की रूपरेखा में यथोल्लिखित रूप में एक अतिरिक्त सामान्य इक्विटी आवश्यकता को लागू किया जाना चाहिए। घरेलू सर्वांगी महत्वपूर्ण बैंक की रूपरेखा घरेलू सर्वांगी महत्वपूर्ण बैंक की पहचान के लिए दो उपायों वाली प्रक्रिया का विनिर्देशन है। पहले उपाय में सर्वांगी महत्वपूर्ण के लिए मूल्यांकित किए जाने वाले बैंकों के नमूने का निर्धारण किया जाना होगा। सर्वांगी महत्वपूर्ण अंकों के परिकलन हेतु नमूने में शामिल बैंकों का चयन वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के प्रतिशत के रूप में उनके आकार के विश्लेषण पर आधारित होता है।

तत्काल सकल भुगतान प्रणाली ٢रे और ٤थे शनिवारों को परिचालित नहीं होगी

बैंकों द्वारा ٢रे और ٤थे शनिवारों को सार्वजनिक छुट्टियां रखे जाने के परिणामस्वरूप तत्काल सकल भुगतान (RTGS) प्रणाली, जो भारी निधियों के तत्काल अंतरण की सुविधा प्रदान करती है, उन दिनों को परिचालित नहीं होगी। तत्काल सकल भुगतान प्रणाली के अधीन जिनकी राशि उपलब्धता की तिथि दूसरे और चौथे शनिवारों को पड़ती हो, ऐसे भावी राशि उपलब्धता की तिथि वाले लेनदेनों का संसाधन नहीं किया जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक ने तत्काल सकल भुगतान प्रणाली के समय पटल में भी परिवर्तन कर दिया है। दूसरे और चौथे शनिवारों को छोड़कर श निवारों सहित नियमित दिनों को कारबार की शुरुआत ٨٠٠ बजे होगी, जबकि प्रारंभिक विच्छेद (ग्राहक लेनदेन) ١٦.٣٠ बजे तक होगा। अंतिम विच्छेद (अंतर-बैंक लेनदेन) ١٩.٤٥ बजे तक तथा अंत: दिवसीय चलनिधि प्रत्यावर्तन ١٩.٤٥ से ٢٠.٠٠ बजे के बीच संपन्न होगा। कारबार का समापन ٢٠.٠٠ बजे होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक नीति दरों के बैंकों की उधार दरों में प्रेषण के सम्बन्ध में दिशा निर्देशों का प्रारूप जारी किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक नीति दरों के बैंकों की उधार दरों में प्रेषण के सम्बन्ध में दिशा निर्देशों का प्रारूप जारी कर दिया है। मौद्रिक प्रेषण होने के लिए उधार दरों को नीतिगत दरों के प्र ति संवेदनशील होना चाहिए। १ जुलाई, ٢٠١٠ को आधार दर लागू किए जाने के परिणामस्वरूप बैंक ऋणों एवं अग्रिमों पर अपनी वास्तविक उधार दरें आधार दर के संदर्भ में निर्धारित कर सकते हैं। वर्तमान में बैंक अपनी आधार दर के परिकलन में - निधियों की औसत लागत, निधियों की सीमांत लागत या निधियों की मिश्रित लागत (देयताओं) के आधार पर भिन्न-भिन्न कार्यप्रणा लियां अपना रहे हैं। निधियों की सीमांत लागत पर आधारित आधार दर नीतिगत दरों में परिवर्तनों के प्रति अधिक संवेदनशील होनी चाहिए। मौद्रिक नीति के प्रेषण में सुधार लाने के उद्देश्य से भारतीय ि रज़र्व बैंक बैंकों को उनकी आधार दर के निर्धारण पर आधारित निधियों की सीमांत लागत की दिशा में समयबद्ध रीति से प्रस्थान करना चाहिए। भारतीय रिज़र्व बैंक यह आशा करता है कि ये उपाय

बैंकों के मध्य अवधि वाले ध्येय - उनके अस्थिर दर वाले ऋणों को किसी बाहरी बेंचमार्क से सम्बद्ध करने -में सहायक होंगे।

मंत्रिमंडल ने सफेद लेबल वाले एटीएमों में ١٠٠% के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमोदित किया

٦

केन्द्रीय मंत्रमंडल ने निर्धारित शर्तों के अधीन सफेद लेबल वाले एटीएमों (WLAs) के परिचालन की गतिविधि में स्वत: मार्ग के अधीन ١٠٠% के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इस निर्णय से इस गतिविधि में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अन्तर्वाह में आसानी एवं शीघ्रता आएगी और इसप्रकार देश में प्रधान मंत्री जन-धन योजना सहित वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के प्रयासों को प्रोत्साहन प्राप्त होगा। यह आशा की जाती है कि भारत में निवेश करने में आसानी के फलस्वरूप सफेद लेबल वाले एटीएमों के परिचालन में पर्याप्त निवेश उपलब्ध होंगे। इससे कस्बाई और ग्रामीण क्षेत्रों (मुख्यत: स्तर III से VI वाले क्षेत्रों) में एटीएम नेटवर्क बढ़ाने के सरकारी उद्देश्य को पूरा करने में सहायता प्राप्त होगी।

स्वर्ण मौद्रीकरण, सॉवरेन स्वर्ण योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बहुप्रतीक्षित स्वर्ण मौद्रीकरण योजना (GMS) और सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड योजना (SBDs) को अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया है। सॉवरेन स्वर्ण बॉण्डों के मामले में पूंजीगत अभिलाभ कर का निरूपण किसी विशिष्ट निवेशक के लिए भौतिक सोने के जैसा ही किया जाएगा। राजस्व विभाग बॉण्ड के अंतरण पर उद्भूत होने वाले दीर्घावधिक पूंजीगत अभिलाभों को सूचीकरण लाभ प्रदान करने पर सहमत हो गया है। उक्त योजना स्वर्ण बॉण्डों में निवेश के लिए प्रत्येक वर्ष खरीदे जाने वाले लगभग ٣٠٠ टन भौतिक छड़ों एवं सिक्कों के एक भाग को परिवर्तित करके भौतिक सोने की मांग को कम करने में सहायता प्राप्त होगी। चूंकि भारत में सोने की मांग का अधिकांश आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है, यह योजना अंतत: देश के चालू खाते के घाटे को वहनीय सीमाओं के भीतर बनाए रखने में सहायक होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ١٩٦٥ वाले भारत-पाकिस्तान युद्ध की स्वर्ण जयंती पर ٥ रुपये के सिक्के जारी करेगा

भारतीय रिज़र्व बैंक शीघ्र ही ١٩٦٥ वाले भारत-पाकिस्तान युद्ध की स्वर्ण जयंती का उत्सव मनाने के लिए ٥ रुपये के सिक्के संचलन में लाएगा। ये सिक्के सिक्का-निर्माण अधिनियम, ٢٠١١ में किए गए प्रावधान के अनुसार वैध मुद्रा होंगे। इस मूल्यवर्ग में वर्तमान सिक्के भी वैध मुद्रा बने रहेंगे।

विनियामकों के कथन

मूल्यांकन क्षमता बढ़ाए जाने की जरूरत

अनर्जक आस्तियों (NPAs) के प्रबन्धन में रुकावट डालने वाला एक मूलभूत मुद्दा है बैंकों की ऋण मूल्यांकन क्षमता में विद्यमान अपर्याप्तताएं, अधिक विशिष्ट रूप से परियोजना मूल्यांकन के सम्बन्ध में। भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री आर. गांधी ने विचार व्यक्त किया है कि ऋण को मूल्यांकित

V

करने के लिए बैंकों द्वारा अधिक आंतरिक डेस्कें रखे जाने की आवश्यकता है। ऐसा कहा गया है कि अत्यल्प अंश वाले बैंकों के पास किसी प्रस्ताव का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करने के लिए न तो प्रोत्साहन है न ही रुझान और वे विशिष्ट रूप से तथा आंखें बंद रखते हुए उसी बैंक का अनुसरण करते हैं, जिसका अंश अपेक्षाकृत बड़ा होता है। श्री गांधी ने कहा है कि सुझाव यह है कि किसी सहायता संघ या बहु बैंकिंग व्यवस्था में सदस्यों की संख्या के सम्बन्ध में एक विनियामक सीमा होनी चाहिए, ताकि प्रत्येक सदस्य के पास एक्सपोजर का कम से कम \•% हो और इसलिए वह गंभीर स्वतंत्र ऋण मूल्यांकन करेगा तथा ऋण पर निगरानी रखेगा। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा है कि इस मुहिम से बैंक अथवा उधारकर्ता को ऋण के सम्बन्ध में वाणिज्यिक निर्णय लेने हेतु मिलने वाली सुविधा बाधित होगी।

वित्तीय क्षेत्र में वहनीय वृद्धि : डॉ. राजन

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम राजन का कहना है कि शीर्ष बैंक को व्यावसायिक समुदाय की समझ और सहयोग की आवश्यकता होती है, न कि त्वरित महत्वपूर्ण उलझनों के प्रति अधैर्य और दबावों की। डॉ. राजन ने कहा कि "सुगम मार्गों और परिहारों की अभिवृत्ति न तो अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता न ही वहनीय वृद्धि में सहायक होती है। जबकि हमें कठिन परिवेशों में अपने व्यवसायी लोगों की उद्यमशील योग्यताओं का सम्मान करना चाहिए, वहीं हमारे लिए बेहतर परिणाम लाने के लिए वातावरण को बदलना आवश्यक है। इन सब के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। उभरते बाज़ार की वर्तमान कठिनाइयां जटिल कारणों के समुच्चय से पैदा होती हैं, किन्तु इनमें महत्वपूर्ण कारण है प्रेरणा की पुरानी और निष्प्रभावी पद्धतियों पर अत्यधिक बल देकर वृद्धि की पुनर्प्राप्ति के प्रति अधैर्य।"

किसी नये बैंक से किसी प्रकार की अनुचित स्पर्धा नहीं

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम राजन ने मौजूदा बैंकों की 'नये बैंकों से अनुचित स्पर्धा' के भय को दूर करने का प्रयास किया। डॉ. राजन ने कहा कि "वहनीय वृद्धि प्राप्त करने के लिए हमें विशेष रूप से उन नवागंतुक बैंकों से जो हमारे देश के अब तक की अपवंचित अर्थव्यवस्था तक पहुंचने के लिए बेहतर स्थिति में हैं, अधिक प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता है। एक दशक के नव-प्रवेश रहित समय के बाद इस वर्ष हम दो नये निजी बैंकों का प्रवेश देखेंगे जिसके बाद आगामी वर्ष में काफी बड़ी संख्या में भुगतान बैंकों और लघु वित्त बैंकों का आगमन होगा। लाइसेंसीकरण के ऑन टैप हो जाने की संभावना है। जहां तक प्रतियोगिता का सम्बन्ध है, वह केवल तभी अनुचित हो

सकती है जब वह समान धरातल पर न हो। हालांकि, नवागंतुकों को कोई ऐसी विशेष सुविधा नहीं दी गई है जो पदधारियों को पहले से न प्राप्त हो।"

इस बार की न्यून मुद्रास्फीति स्थिर है

Λ

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री आर. गांधी ने कहा है कि मुद्रास्फीति का हमारा अनुभव उच्च एकल अंक से क्लेश वाला था और इसलिए स्फीतिकारी प्रत्याशाओं के विरुद्ध मोर्चेबंदी बहुत अच्छी तरह कर ली गई। यद्यपि कुछ अवधियों में हम मुद्रास्फीति के न्यून स्तरों के दौर से गुजरे हैं, हम उसे टिकाए रखने में कामयाब नहीं हुए। चूंकि हम एक बार पुन: मुद्रास्फीति के न्यून स्तर से गुजर रहे हैं, और यह प्रचुर रूप से स्पष्ट है कि इस बार हम इसे आने वाले वर्षों में टिकाए रखने में कामयाब होंगे। सरकार के साथ वर्तमान मौद्रिक नीति रूपरेखा से सम्बन्धित करार में यह निर्धारित है कि नीति का उद्देश्य उपभोक्ता मुद्रास्फीति को चार जोड़िए या घटाइए दो प्रतिशत के बीच रखना होगा। फलत: उच्च मुद्रास्फीति की संभावनाएं कम हैं।

बीमा

इर्डाई ने जारी किए सामाजिक, ग्रामीण क्षेत्र के दायित्वों से सम्बन्धित दिशानिर्देश

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) जीवन, सामान्य और स्वास्थ्य खण्डों में १० वर्ष से परिचालनरत सभी बीमाकर्ताओं से यह अपेक्षा करता है कि उनकी कुल पॉलिसियों के कम से कम ७% सामाजिक क्षेत्र से हों। सामाजिक क्षेत्र में ग्रामीण और शहरी, दोनों ही क्षेत्रों के असंगठित क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्र तथा आर्थिक रूप से सुभेद्य अथवा पिछड़े वर्गों का समावेश होता है। अपने परिचालन के पहले वर्ष में बीमाकर्ताओं को इस खण्ड से ०.७% की सुरक्षा / व्याप्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण चाहता है कि प्रत्येक बीमाकर्ता ग्रामीण और सामाजिक खण्डों में व्यवसाय करे। जीवन बीमाकर्ताओं को परिचालन के पहले वर्ष में उनकी पॉलिसियों की कुल संख्या की कम से कम ५% इन क्षेत्रों से ही लिखनी चाहिए। यह अपेक्षा १० वर्ष और उसके बाद से बढ़ कर १०% तक पहुंच जाती है। सामान्य बीमाकर्ताओं के मामले में ग्रामीण खण्ड में पहले वर्ष में सकल का २% होनी चाहिए, जो ९वें वर्ष और उसके बाद से ५% तक पहुंच जाती है। एकल आधार वाले स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के मामले में यह अपेक्षा सामान्य बीमाकर्ताओं के लिए निर्धारित दायित्वों का ७०% है।

मोटर वाहन डाटाबेस में हिस्सेदारी मॉडल से सम्बन्धित इर्डाई पैनल

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने मोटर वाहन डाटाबेस में हिस्सेदारी करने हेतु एक मॉडल विकसित करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस चार सदस्यीय समिति में भारतीय बीमा आसूचना ब्यूरो (IIBI) से एक सदस्य के अलावा सार्वजनिक और निजी सामान्य

बीमाकर्ताओं का समावेश है। भारतीय बीमा आसूचना ब्यूरो डाटा आधार, सड़क परिवहन और राजमार्ग
मंत्रालय तथा राज्य सरकारों जैसी राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं से प्राप्त करेगा, जो एक करार के बाद बीमाकर्ताओं को अंतरित कर दिया जाएगा। डाटा में इस प्रकार की सीवन-रहित विधि से हिस्सेदारी से बीमे की बिक्री एवं सेवा में कार्य-कुशलताएं लाई जा सकती हैं।

इर्डाई ने बीमाकर्ताओं को शर्तों सहित अधिमानी शेयर जारी करने की अनुमति दी

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा कम्पनियों को अधिमानी शेयरों, डिबेंचरों तथा प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित अन्य गौण ऋणों के रूप में पूंजी के अन्य रूपों को रखने की अनुमति प्रदान कर दी है। हालांकि, "पूंजी के अन्य रूपों" का बीमा प्राधिकरण के पूर्वानुमोदन की शर्त पर होगा। इसके अतिरिक्त इन लिखतों को आवश्यक रूप से जारी किया तथा नकद चुकता किया हुआ होना चाहिए। इसप्रकार के अधिमानी शेयर या डिबेचर पॉलिसीधारकों, सामान्य लेनदारों तथा बीमाकर्ता के गौण ऋण धारकों के अधीनस्थ होते हैं। ,इसप्रकार के लिखतों में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) या विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) सहित विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश समय-समय पर यथा-प्रयोज्य विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम (FEMA) के विनियमों के अधीन होंगे। इसप्रकार की अन्य रूपों वाली पूंजी बीमाकर्ता की चुकता इक्विटी पूंजी के २५ प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

गैर-ऋणी किसानों को फसलें बीमित कराने हेतु मिला अधिक समय

सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत गैर-ऋणी किसानों के लिए फसल को बीमित कराने की अवधि को ३१ जुलाई, २०१५ से बढ़ाकर १५ सितम्बर, २०१५ कर दिया है। इससे उन राज्यों के कृषकों को लाभ पहुंचेगा जिनमें कम बरसात अथवा विलंबित बरसात और विलंबित रोपण हुआ है। ऋणी किसानों के मामले में यह अवधि ३० सितम्बर, २०१५ तक है। यह निर्णय उन किसानों के हित में लिया गया है जहां विलंबित / कम बरसात की रिपोर्टिंग की गई है।

नयी नियुक्तियां

›,,Ÿ,	œ,™›,,Ÿ, / ¬,¿Š,“›,
ªú Š,µ,½©, ©,¿ˆÅ£›,	ˆÅ,¡,Äœ,,¥,ˆÅ ¢›,™½©,ˆÅ, û½Å”£¥, ¤,ÿˆÅ
ªú ,,›,¿™ ,£,¬,	Ÿ,º‰¡, ˆÅ,¡,Äœ,,¥,ˆÅ ,¢š,ˆÅ,£ú, ž,,£÷,ú¡, ¤,ÿ ¢ˆ¿ÅŠ, ¬,¿¢í÷,,, ,,¾£ Ÿ,,›,ˆÅ ¤,,½”Ä (BCSBI)

विदेशी मुद्रा

अक्तूबर, २०१५ माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की न्यूनतम दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक)जमाराशियों के लिए लिबोर / अदला-बदली

	¢¥,¤,,½£	,™¥,,- ¤,™¥,ú			
Ÿ,ºÍ,	१ ¨,«,Ä	२ ¨,«,Ä	३ ¨,«,Ä	४ ¨,«,Ä	५ ¨,«,Ä
१०					
,Ÿ,£úˆÅú ",¥,£	०.५०४० ०	०.७७० ८०	१.०१२० ०	१.२२५३ ०	१.४१६४ ०
,ú¤,úœ,ú	०.६६१० ०	०.९६६ ०	१.१४१८	१.३०९०	१.४५३२
¡,»£,½	०.०२९४ ०	०.०५६	०.१३०	०.२४२	०.३७०
,,œ,,›,ú ¡,½›,	०.१३२५ ०	०.१२५	०.१२९	०.१६०	०.२०८
ˆÅ›,,",ƒÄ ",¥,£	०.८५०० ०	०.८१७	०.९२४	१.०४८	१.१८४
,,¬'ï½¢ ¥,¡,,ƒÄ ",¥,£	२.००९० ०	२.००२	२.०६०	२.२९०	२.४१०
¦¬¨,¬, ¦ üÿÅˆÅ	- ०.६६०० ०	-०.६७६	-०.६०५	-०.४९४	-०.३६५
"¾¢›,©, ÇÅ,½›,	०.२३८३ ०	०.३२२९	०.४२७८	०.०७९०	०.७२००
›¡,» ,ú¥,ÿ" ",¥,£	२.७२०० ०	२.७२०	२. ८००	२.९२०	३.०५०
¬¨,ú¢"©, ÇÅ,½›, Å	- ०.२७८० ०	-०.१५५	०.००४	०.२७८	०.५२०
¢¬,¿Š,,œ,º£ ",¥,£	१.०९०० ०	१.८५०	२.०६०	२.२७५	२.४२०
í,¿Š,ˆÅ,¿Š, ",¥,£	०.६३०० ०	०.९००	१.१३०	१.३१०	१.४५०
Ÿ¡,,Ÿ,,£	३.९२०० ०	४.०४०	४.१५०	४.२४०	४.३३०

स्रोत : www.fedai.•rg.in

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां

Ÿ¸™	२५ ¢¬¸÷¸Ÿ¤¸£, २०१५ ^½Å ¢™›¸	२५ ¢¬¸÷¸Ÿ¤¸£, २०१५ ^½Å ¢™›¸
	¢¤¸¢¥¸¡¸›¸õ ²œ¸¡¸½	¢Ÿ¸¢¥¸¡¸›¸ ¸Ÿ¸£ú^Åú ”¸¥¸£
	१	२
^ºÅ¥¸ œÏ¸£¢®¸÷¸ ¢›¸ ¢š¸¡¸¸¿	२३, ०३९, ०	३४९, ९७८..५
^Å) ¢¨¸™½©¸ú Ÿ¸ºÍ¸ ¸¸ ¢¬÷¸¡¸¸¿	२१, ४८८.५	३,२६, ५७८.०
‰¸) ¬¸¸½›¸¸	१, १९५,८	१८, ०३५. ३
Š¸) ¢¨¸©¸½«¸ ¸¸í£µ¸ ¸¢š¸^Å¸£	२६७, ७	४, ०४९.०
‹¸) ¸¿÷¸££¸«’ïú¡¸ Ÿ¸ºÍ¸ ^Å¸½«¸ Ÿ¸½¿ œÏ¸£¢®¸÷¸ ¢›¸¢š¸ ^Åú ¦¬˜¸¢÷¸	८७.०	१, ३१६.२

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

उत्पाद एवं गठजोड़

¬¸¿Š¸“›¸	¢ ¸¬¸ ¬¸¿Š¸“›¸ ^½Å ¬¸¸˜¸ Š¸¿“ ¸¸½”õ íº¸¸	„Ó½©¡¸
ž¸¸£÷¸ú¡¸ ¬’½’ ¤¸ÿ^Å	¸Ÿ¸¾ ¸¸Á›¸ ƒ¿¢”¡¸¿ ¤¸º^Å Ÿ¸¸ƒÄ ©¸¸½	ž¸¸£÷¸ Ÿ¸½¿ ¸¸Á›¸¥¸¸ƒ›¸ ‰¸£ú™¸£ú ¸¸¾£ ƒÄ-¨¸¸¢µ¸ ¡¸^Å¸½ ¥¸¸½^Å¢œÏ¡¸ ¤¸›¸¸›¸¸—

११

	¦Æ¥¸¡¸£ ¢’ïœ¸¸ ¸¸½¥¸¸ ’¾Æ¬¸ú, ¥¸½¿¬¸^Å¸’Ä¸ û»Å” œ¸¸µ”¸¸	

	û¾Å¤¸ ûÅ£¢›¸©¸	
£¸«’ïú¡¸ ¸¸¨¸¸¬¸ ›¸ÿˆÅ	¸ú¸¸ƒÄ¬¸ú í¸„¢¬¸¿Š¸ ûÅ¸ƒ›¸ÿ¬¸ ¢¥¸¢Ÿ¸’½”	¸¸¨¸¸¬¸ ˆ½Å „Ó½©¡¸ ¬¸½
¸¸ƒ”ú¤¸ú¸¸ƒ Ä ¤¸ÿˆÅ	£¸«’ïú¡¸ ¸¸¨¸¸¬¸ ¤¸ÿˆÅ	œÏš¸¸›¸ Ÿ¸¿°¸ú ¸¸¨¸¸¬¸ ¡¸¸½ ¸›¸¸¸ ‡ˆÅ ¨¸í›¸ú¡¸ ¸¸¨¸¸¬¸ ¡¸¸½ ¸›¸¸ ˆ½Å ÷¸í÷¸ †µ¸ ¬¸Ÿ¤¸Ö ¤ ¡¸¸ ¸Š¸÷¸ ¸¸¢˜¸ÄˆÅ ¬¸í¸¡¸÷¸¸ ¡¸¸½ ¸›¸¸ ˆ½Åú œÏ¢ÇÅ¡¸¸ ˆÅ¸½ ˆÅ¸¡¸¸Ä¦›¨¸÷¸ ˆÅ£›¸¸—
ˆ¾Å˜¸¢¥¸ˆÅ ¬¸ú¢£¡¸›¸ ¤¸ÿˆÅ	¸¸ƒÄ¬¸ú¸¸ƒÄ¬¸ú¸¸ƒ Ä ¥¸¸½Ÿ¤¸¸”Ä ¸›¸£¥¸ ƒ¿©¡¸¸½£½¿¬¸	ˆ½Å£¥¸¸ ÷¸¢Ÿ¸¥¸›¸¸”º¸ ˆÅ›¸¸Ä’ˆÅ ¸¸¾£ Ÿ¸í¸£¸«’ï Ÿ¸½¿ ¤¸ÿˆÅ ˆ½Å ŠÏ¸íˆÅ¸½¿ ˆÅ¸½ ¤¸úŸ¸¸ „÷œ¸¸™ ¤¸½ ¸›¸¸—
ƒ¥¸¸í¸¤¸¸™ ¤¸ÿˆÅ	£¸«’ïú¡¸ ¸¸¨¸¸¬¸ ¤¸ÿˆÅ	œÏš¸¸›¸ Ÿ¸¿°¸ú ¸¸¨¸¸¬¸ ¡¸¸½ ¸›¸¸ ˆ½Å ˆÅ¸¡¸¸Ä›¨¸¸¡¸¸›¸ ˆ½Å ¢¥¸‡—

शब्दावली

लघु वित्त बैंक

लघु वित्त बैंक मूलत: जमाराशियों की स्वीकृति तथा छोटी करोबारी इकाइयों, लघु एवं सीमांत कृषकों, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों एवं असंगठित क्षेत्र की कम्पनियों सहित सेवा से वंचित और अल्प सेवा प्राप्त वर्गों को उधार देने का कार्य करेंगे। लघु वित्त बैंकों के गठन का उद्देश्य बचत के साधन मुहैया करवा कर तथा छोटी कारोबारी इकाइयों, लघु एवं सीमांत कृषकों, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों एवं अन्य असंगठित क्षेत्र की कम्पनियों को उच्च प्रौद्योगिकी - अल्प लागत वाले परिचालनों के माध्यम से ऋण की आपूर्ति करना है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (ICAAP)

बासेल -II से सम्बन्धित दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों के लिए एकल एवं समेकित स्तर पर आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया के अनुसार पूंजी की आवश्यकता का निर्धाण करने हेतु आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक नीति रखना आवश्यक है। आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया से प्रबन्धन तथा किसी बैंक की निर्णयन

संस्कृति का एक अभिन्न अंग बनना अपेक्षित है। आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया के दस्तावेज़ में निर्धारणीय और

गुणात्मक रूप से निर्धारित जोखिमों को सुस्पष्ट रूप से अलग किया जाना अपेक्षित होता है। आंत रिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया में, विशेष रूप से बैंकों के महत्वपूर्ण जोखिम एक्सपोजरों के सम्बन्ध में कुछेक असंभाव्य किन्तु सत्याभासी घटनाओं अथवा बाज़ार की स्थितियों में ऐसे उतार-चढ़ावों के प्रति बैंक की संभाव्य सुभेद्यता का मूल्यांकन करने के लिए समय-समय पर किए जाने वाले दबाव परीक्षणों और परिदृश्य विश्लेषणों को भी शामिल किया जाना अपेक्षित है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

अक्तूबर, २०१५ माह के लिए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम

ÇÅŸ ¸¬¸¿·	ˆÅ¸¡¸ÄÇÅŸ¸¸½¿ ˆ½Å ›¸¸Ÿ¸	¢÷¸¢˜¸¡¸¸¿	¬˜¸¥¸
१	œÏŸ¸¸¢µ¸÷¸ ¤¸ÿ¢ˆ¿ÅŠ¸ ¸›¸°œ¸¸¥¸›¸ ¨¡¸¸¨¸¬¸¸¢¡¸ˆÅ œ¸¸“Ã¡¸ÇÅŸ¸ ˆ½Å ¢¥¸‡ œ¸£ú®¸¸½œ¸£¿¸÷¸ œÏ ¢©¸®¸µ¸	५ ¬¸½ ९ ¸Æ÷¸»¤¸£¸ २०१५	Ÿ¸°¿¤¸ƒÄ
२	œÏŸ¸¸¢µ¸÷¸ ¤¸ÿ¢ˆ¿ÅŠ¸ ¸›¸°œ¸¸¥¸›¸ ¨¡¸¸¨¸¬¸¸¢¡¸ˆÅ œ¸¸“Ã¡¸ÇÅŸ¸ ˆ½Å ¢¥¸‡ œ¸£ú®¸¸½œ¸£¿¸÷¸ œÏ ¢©¸®¸µ¸	५ ¬¸½ ९ ¸Æ÷¸»¤¸£¸ २०१५	¸½››¸¾
३	œÏŸ¸¸¢µ¸÷¸ ‰¸{¸¸›¸¸ ¨¡¸¸œ¸¸£ú œ¸¸“Ã¡¸ÇÅŸ¸ ˆ½Å ¢¥¸‡ œ¸£ú®¸¸½œ¸£ ¿¸÷¸ œÏ¢©¸®¸µ¸	१६ ¬¸½ १८ ¸Æ÷¸»¤¸£¸ २०१५	Ÿ¸°¿¤¸ƒÄ
४	œÏŸ¸¸¢µ¸÷¸ †µ¸ ¸¢š¸ˆÅ¸¢ £¡¸¸½¿ ˆ½Å œ¸¸“Ã¡¸ÇÅŸ¸ í½÷¸° œ¸£ú®œ¸£¸¿÷¸ œÏ ¢©¸®¸µ¸	२६ ¬¸½ ३० ¸Æ÷¸»¤¸£¸ २०१५	Ÿ¸°¿¤¸ƒÄ
५	œÏŸ¸¸¢µ¸÷¸ ¤¸ÿ¢ˆ¿ÅŠ¸ ¸›¸°œ¸¸¥¸›¸ ¨¡¸¸¨¸¬¸¸¢¡¸ˆÅ œ¸¸“Ã¡¸ÇÅŸ¸ ˆ½Å ¢¥¸‡ œ¸£ú®¸¸½œ¸£¿¸÷¸ œÏ ¢©¸®¸µ¸	२६ ¬¸½ ३० ¸Æ÷¸»¤¸£¸ २०१५	¸½››¸¾
६	œÏŸ¸¸¢µ¸÷¸ ¤¸ÿ¢ˆ¿ÅŠ¸	२६ ¬¸½ ३०	¢™¥¥¸ú

	,›,°œ,,¥,›, ¨¡,,¨,¬,,¢¡,ˆÅ œ,,“Ã¡,ÇÅŸ, ˆ½Å ¢¥,‡ œ,£ú®,,½œ,£¿,÷, œÏ ¢©,®,µ,	,Æ÷,»¤,£, २०१५	
७	œÏŸ,,¢µ,÷, ¤,ÿ¢ˆ¿ÅŠ, ,›,°œ,,¥,›, ¨¡,,¨,¬,,¢¡,ˆÅ œ,,“Ã¡,ÇÅŸ, ˆ½Å ¢¥,‡ œ,£ú®,,½œ,£¿,÷, œÏ ¢©,®,µ,	२६ ¬,½ ३० ,Æ÷,»¤,£, २०१५	ˆÅ,½¥,ˆÅ,÷,,

संस्थान समाचार

आईआईबीएफ द्वारा सोशल मीडिया में प्रवेश

संस्थान ने अपने सदस्यों और अन्यों तक अपनी पहुंच बढ़ाने हेतु यूट्यूब और फेसबुक नामक सोशल मीडिया पृष्ठों की शुरुआत की है। यह कदम बैंकिंग एवं फाइनैंस में संस्थान के पाठ्यक्रमों को प्रासंगिक एवं अद्यतन बनाने के लिए उनसे सूचनाएं /. प्रति-सूचना प्राप्त करने में उसकी सहायता करेगा।

बैंकिंग संस्थानों का एशिया-प्रशांत संघ सम्मेलन २०१५

१३

बैंकिंग संस्थानों का एशिया-प्रशांत संघ (APABI) एशिया-प्रशांत क्षेत्र में बैंकिंग संस्थानों का एक अर्ध औपचारिक ढांचा है। इसकी स्थापना १९८६ में ११ संस्थापक सदस्यों द्वारा की गई थी। वित्तीय उद्योग के उन प्रशिक्षण संस्थानों को एक साथ लाने में यह संघ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को उन रूपांतरणकारी घटनाओं से निपटने की क्षमता से सुसज्जित करने के एक साझे उद्देश्य में सहभागिता करते हैं, जो वित्तीय क्षेत्र को उसकी सर्वा धिक मूल्यवान आस्ति - मानवीय पूंजी के निरंतर नवीकरण को समर्थन प्रदान करके संवार रही हैं । वर्तमान में बैंकिंग संस्थानों के एशिया -प्रशांत संघ में १८ सदस्य हैं। बैंकिंग संस्थानों के एशिया -प्रशांत संघ के सदस्य सदस्य देशों में से किसी एक देश में सम्मेलन के साथ दो वर्षों में एक बार मिलते हैं।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैंस (IIBF) ने बैंकिंग संस्थानों के एशिया -प्रशांत संघ के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की २३ सितम्बर, २०१५ को होटल ओबेराय, डॉ. ज़ाकिर हुसैन मार्ग, नयी दिल्ली में मेज़बानी की। उक्त सम्मेलन की मुख्य विषय-वस्तु थी "बैंकिंग में नये रूपांतरण" (New paradigms in Banking)। सम्मेलन के दिन "वित्तीय सेवाओं का भविष्य - वित्तीय सेवाएं जिस प्रकार विन्यस्त, उपलब्ध और प्रयुक्त की जा रही हैं उन्हें विघटनकारी नवोन्मेष किस

प्रकार पुन: आकार दे रहे हैं," विषय पर ३३वां सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास स्मारक व्याख्यान भी आयोजित किया गया। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.orgin देखें।

कारबार संपर्कियों / कारबार सुसाधकों (PMJDY) के लिए प्रमाणपत्र परीक्षा

संस्थान ने प्रधान मंत्री जन-धन योजना (PMJDY) के अधीन एक प्रमाणपत्र परीक्षा की शुरुआत की है। इस परीक्षा की पाठ्य-सामग्री है "कारबार संपर्की के माध्यम से समावेशी बैंकिंग - प्रधान मंत्री जन-धन योजना के लिए एक साधन"। उक्त पुस्तक ९ भाषाओं (अंग्रेजी, हिन्दी, मराठी, त मिल, तेलुगू, उड़िया, असमी, बंगाली और गुजराती) में प्रकाशित की गई है। आगामी परीक्षा २९ अक्तूबर, २०१५ को आयोजित होगी। (अधिक जानकारी के लिए www.iibf.orgin देखें।)

परीक्षा के लिए दिशानिर्देशों / महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान द्वारा किसी कैलेंडर वर्ष के मई / जून माह के दौरान आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के सम्बन्ध में प्रश्नपत्र में समावेश के लिए विनियामक द्वारा जारी अनुदेशों / दिशा निर्देशों और बैंकिंग एव वित्त के क्षेत्र में केवल पिछले वर्ष की ३१ दिसम्बर तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

संस्थान द्वारा किसी कैलेंडर वर्ष के नवम्बर / दिसम्बर माह के दौरान आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के सम्बन्ध में प्रश्नपत्र में समावेश के लिए विनियामक द्वारा जारी अनुदेशों / दिशा निर्देशों
और बैंकिंग एव वित्त के क्षेत्र में केवल पिछले वर्ष की ३१ दिसम्बर तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही

विचार किया जाएगा।

संस्थान की परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री

संस्थान ने विविध परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख य (मास्टर) परिपत्रों और अन्य स्रोतों से संग्रहीत अतिरिक्त अध्ययन सामग्री अपनी वेब साइट पर डाल रखी है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.orgin देखें।

बैंकों, बैंकिंग संस्थानों और वित्तीय संस्थाओं के प्रशिक्षकों के लिए ०वां अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान १ली से ६ठी फरवरी, २०१६ तक बैंकों, बैंकिंग संस्थानों और वित्तीय संस्थाओं के प्र शिक्षकों के लिए लीडरशिप सेंटर, इंडियन इंस्टिटयूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैंस, कारपोरेट

कार्यालय, मुंबई में 0वें अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.orgin देखें।

वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए 0वां बैंक कार्यपालक कार्यक्रम (BEP)

राष्ट्रीय बैंक प्रबन्धन संस्थान (NIBM), बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान (IDRBT) तथा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैंस (IIBF) द्वारा बैंक कार्यपालक कार्यक्रम संयुक्त रूप से तैयार एवं आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बैंक कार्यपालकों को उभरते वैश्विक स्तर पर स्पर्धात्मक बाजडार में सफल होने के लिए उपयुक्त कौशलों से सुसज्जित करना है। वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए 0वें बैंक कार्यपालक कार्यक्रम का आयोजन १६ से २१ नवम्बर, २०१५ तक लीडरशिप सेंटर, इंडियन इंस्टिटयूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैंस, कारपोरेट कार्यालय, मुंबई में किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.orgin देखें।

अभ्यर्थियों को सूचना/ नोटिस : प्रमाणपत्रों की दूसरी प्रति

संस्थान अभ्यर्थियों को परीक्षाओं के लिए प्रमाणपत्रों की दूसरी प्रति उनके अनुरोध के आधार पर जारी करता है। ९ सितम्बर, २०१५ से संस्थान द्वारा प्रमाणपत्रों की दूसरी प्रति के लिए केवल ऑनलाइन भुगतान सहित ऑनलाइन अनुरोधों को ही स्वीकार किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.orgin देखें।

नयी पहलकदमी

वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये भेजने के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास अपने ई-

मेल पते अद्यतन करवा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज
दें।

---

* भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास आरएनआई संख्या : ६९२२८/१९९८ के अधीन पंजीकृत

बाज़ार की खबरें

भारित औसत मांग दरें

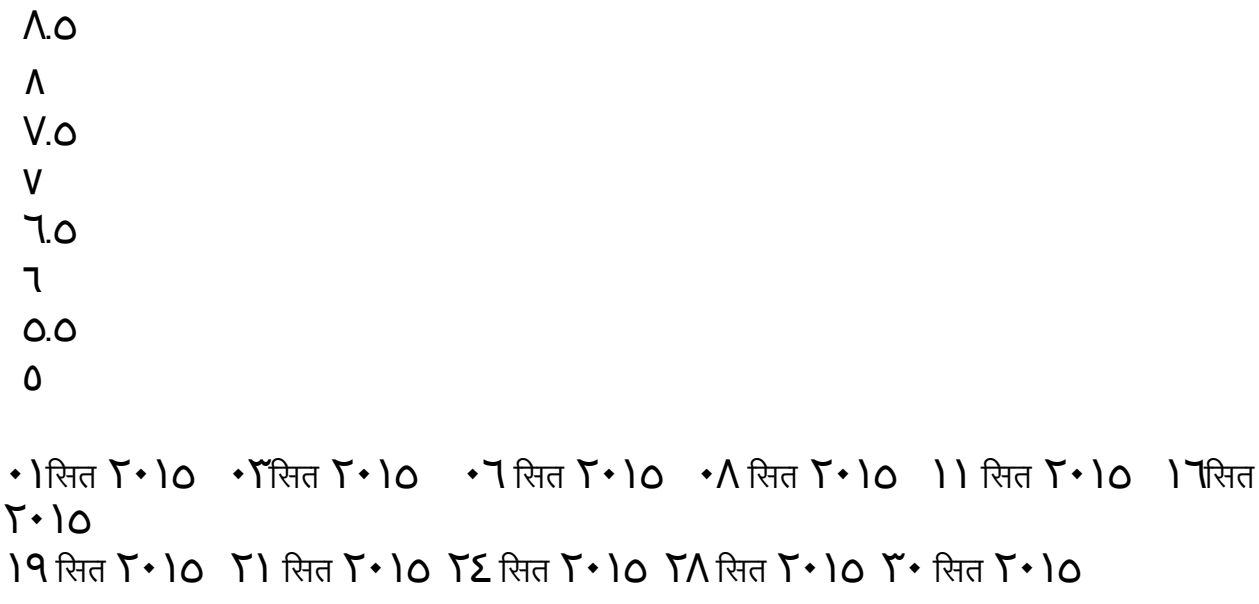

स्त्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, सितम्बर, २०१५

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

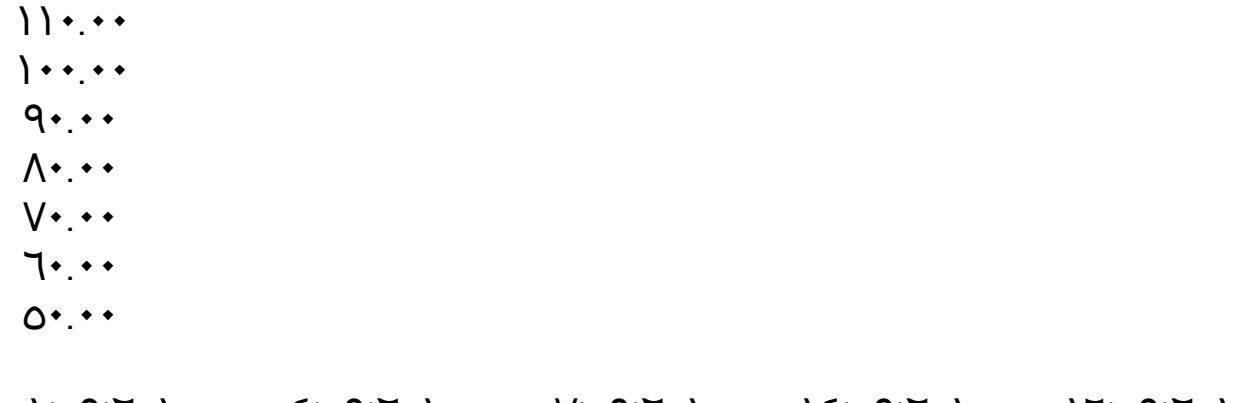

स्त्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

२६५००
२६०००
२५०००
२४५००
२४०००

०१सित.१५ ०४ सित.१५ ०७ सित.१५ ०८ सित १५ १४ सित. १५ १८ सित १५ २२ सित. १५ २४ सित. १५ २८ सित. १५ ३० सित १५

स्रोत: बम्बई शेयर बाज़ार

”¸Á. ¸½. ‡›¸. ¢Ÿ¸ª ×¸£¸ Ÿ¸º¢Í÷¸¸ ”¸Á. ¸½. ‡›¸. ¢Ÿ¸ª ×¸£¸ ƒ¿¢”¡¸›¸ ƒ¿¢¬”Ã¡¸»’ ¸¸ÁûÅ ¤¸ÿ¢ˆ¿ÅŠ¸ ‡µ” ûÅ¸ƒ›¸¾›¬¸ ˆÅú ¸¸½£ ¬¸½ œÏˆÅ¸¢©¸÷¸ ÷¸˜¸¸ Æ¨¸¸¢¥¸’ú ¢œÏ¿’¬¸Ä (I) ¸ ٦ - ¤¸ú Ÿ¸¸½í÷¸¸ ž¸¨¸›¸¸ ३£ú Ÿ¸¿¢ ¸¥¸¸ ”¸Á. ƒÄ. Ÿ¸¸½ ¸ö½¬¸ Ÿ¸¸Š¸Ä¸ ¨¸¥¸úÄ¸ Ÿ¸º¿¤¸ƒÄ - ٤०० ०१८ Ÿ¸½¿ Ÿ¸º¢Í÷¸ ‡¨¸¿ ƒ¿¢”¡¸›¸ ƒ¿¢¬”Ã¡¸»’ ¸¸ÁûÅ ¤¸ÿ¢ˆ¿ÅŠ¸ ‡µ” ûÅ¸ƒ›¸¾›¬¸¸ ˆÅ¸½¢í›¸»£ ¢¬¸’ú¸ ˆÅ¸ÁŸ¸¢©¸ÄÄ¡¸¥¸- II¸¸ ’¸Á¨¸£ -१¸ ३£ú Ÿ¸¿¢ ¸¥¸¸ ¢ˆÅ£¸½¥¸ £¸½”¸ ˆºÅ¥¸¸Ä (œ¸¢ä¸Ÿ¸), Ÿ¸º¿¤¸ƒÄ -٤०० ०७० ¬¸½ œÏˆÅ¸¢©¸÷¸—

¬¸¿œ¸¸™ˆÅ : ”¸Á. ¸½. ‡›¸. ¢Ÿ¸ª

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II, टॉवर - १, ३री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)
मुंबई - ४०० ०७०
टेलीफोन : ९१-२२ २५०३ ९६०४ / ९६०७ फैक्स : ९१-२२-२५०३ ७३३३
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom0 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न अक्तूबर, २०१५